उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या– 3684/9–1–2022–15 आर0/22
लखनऊः दिनांक ~~नवम्बर,~~ 01 दिसम्बर 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा–7 की उप धारा–(1), (3), और (4) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 1994 (यथासंशोधित) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची के अनुरूप नगर निगम शाहजहांपुर, जनपद शाहजहांपुर के कक्षों को पार्षद पद हेतु अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो और महिलाओं के लिए आरक्षित/आवंटित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (5) के खण्ड–(3) की व्यवस्थानुसार आपत्तियॉ प्राप्त करने की दृष्टि से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उपर्युक्त के संबंध में आपत्तियॉ या सुझाव, यदि कोई हो, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को सम्बोधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, सात दिवस के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो निर्धारित अवधि के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होंगी।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक–

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक– 01 दिसम्बर 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 20 प्रतियॉ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. **सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,** (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) उ0प्र0 लखनऊ।
2. **मण्डयुक्त** बरेली मण्डल, बरेली।
3. **जिलाधिकारी,** शाहजहांपुर को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को संबंधित जिले में व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करायें एवं जिलाधिकारी कार्यालय तथा नगर निगम कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा भी कराने हेतु निर्देशित करें। अधिसूचना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर निर्धारित अवधि समाप्त होने के अगले दिवस को अपात्तियों पर सम्यक विचार कर उनका युक्तियुक्त निस्तारण कराते हुए निस्तारण आदेश की प्रति सहित (आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए) आख्या/प्रस्ताव शासन को ई–मेल आई.डी.–so.nagarvikassec1@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।
4. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. संबंधित निकाय (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी)।
6. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।

अनुसूची

नगर निगम शाहजहाँपुर - शाहजहाँपुर

वार्ड	वार्ड नाम	प्रस्तावित आरक्षण
1	चर्च कालोनी रौजा	अनु जाति महिला
2	बहादुरपुरा	अनु जाति महिला
3	लोधीपुर	अनु जाति
4	सरायकाईयां	अनु जाति
5	चिनौर	पिछड़ा वर्ग महिला
6	अजीजगंज	पिछड़ा वर्ग
7	खलीलशर्की	पिछड़ा वर्ग
8	बृजविहार कालोनी	अनारक्षित
9	सुभाष नगर	अनारक्षित
10	खिरनीबाग	महिला
11	अहमदपुरा	अनारक्षित
12	हयातपुरा	पिछड़ा वर्ग
13	भारद्वाजी	अनारक्षित
14	नई बस्ती	अनारक्षित
15	बाबूजई	पिछड़ा वर्ग
16	बाइ्जई प्रथम	पिछड़ा वर्ग
17	आवास विकास कालोनी	महिला
18	आदर्श नगर रौजा	अनारक्षित
19	जियाखेल	पिछड़ा वर्ग
20	दिलाजाक	महिला
21	फत्तेपुर रेती	महिला
22	एमनजई जलालनगर	पिछड़ा वर्ग
23	लालपुर	अनारक्षित
24	ख्वाजा फिरोज	अनारक्षित
25	मोहम्मदजई	अनारक्षित
26	तिराही	अनारक्षित
27	अण्टा	अनारक्षित
28	बी0बी0जई हद्दफ	अनारक्षित

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

29	सदर बाजार	महिला
30	जलालनगर बाहर चुंगी	पिछड़ा वर्ग महिला
31	ककरा	अनारक्षित
32	रोशनगंज	अनारक्षित
33	तिलहर जई	महिला
34	मक्कू बजरिया	पिछड़ा वर्ग
35	दीवान जोगराज	अनारक्षित
36	ताजूखेल	अनारक्षित
37	अहमदपुर न्याजपुर	महिला
38	बिजलीपुरा	पिछड़ा वर्ग महिला
39	वक्सरियां	महिला
40	बाइूजई पेशावरी	अनारक्षित
41	सिंजई	अनारक्षित
42	हुण्डालखेल	अनारक्षित
43	तारीन बहादुरगंज	अनारक्षित
44	अलीजई	अनारक्षित
45	दलेलगंज	पिछड़ा वर्ग
46	तारीन टिकली	अनारक्षित
47	कटिया टोला	अनारक्षित
48	निसरजई	अनारक्षित
49	आनन्दपुरम कालोनी	महिला
50	रंगीन चौपाल	पिछड़ा वर्ग
51	महमन्द जंगला	महिला
52	कांशीराम कालोनी	अनारक्षित
53	रामनगर कालोनी	महिला
54	यूनुसखेल	अनारक्षित
55	मामूडी	पिछड़ा वर्ग महिला
56	किला	पिछड़ा वर्ग महिला
57	महमन्द जलालनगर	अनारक्षित
58	तारीन जलालनगर	अनारक्षित
59	हाथीथान	पिछड़ा वर्ग महिला
60	गढ़ीगाड़ीपुरा	महिला

(सतीश कुमार चौधरी)
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।